रानी गाइडिनल्यू - पर्वतों की बेटी

*सी के नाईक

''हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, गोरों को हम पर शासन नहीं करना चाहिए.....''
यह स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश की मुख्य भूमि से किसी स्वतंत्रता सेनानी का आह्वान नहीं था। यह पूर्वोत्तर के सुदूर पर्वतीय नागा जनजातीय समुदाय से सम्बद्ध रानी गाइडिनल्यू का आह्वान था और वह भी उस समय जब वे मात्र 13 वर्ष की थीं।

बहादुरी के इस आह्वान का स्मरण किसी और ने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस समय कराया, जब वे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधी सदी से भी अधिक समय पहले भू-भाग से घिरे क्षेत्र की एक जनजातीय बालिका के अदम्य साहस की आज कल्पना ही की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को स्वाधीनता संग्राम की गरिमापूर्ण धरोहर का अवश्य स्मरण रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि रानी गाइडिनल्यू जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को अंतरित की जाएं। रानी गाइडिनल्यू के जन्मशती समारोहों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि रानी जैसी प्रसिद्ध विभूतियों को समुचित रूप मंे याद नहीं किया गया अथवा भुला दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी का यह विश्वास था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नागा लोगों का संघर्ष भारत की एकता और अखंडता के लिए संग्राम का हिस्सा था। प्रधानमंत्री ने रानी गाइडिनल्यू को पूर्वोत्तर क्षेत्र में महात्मा गांधी के संदेश को प्रचारित करने का श्रेय भी प्रदान किया।

प्रारंभ में, रानी गाइडिनल्यू अपने चचेरे भाई हाइपोजाडोनांग की अनुयायी के रूप में एक नागा धार्मिक नेता थीं। 13 वर्ष की आयु में वे हेराका धार्मिक आंदोलन से जुड़ गईं। हेराका सुधारवादी धर्म एक ईश्वर की सर्वोच्चता को मानता है, जो आकाश, जल या पृथ्वी के रूप में प्रकृति की रचना करने वाला है। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बन गया, जिसने मणिपुर और आसपास के नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष शुरू किया। हेराका संप्रदाय में उन्हें देवी का अवतार माना जाता है।

सुधारवादी धार्मिक आंदोलन बड़ी तेजी के साथ ब्रिटिशराज के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष में बदल गया था। इसे देखते हुए अंग्रेजों ने पहले हाइपोजाडोनांग को गिरफ्तार किया और 1931 में उन्हें राजद्रोह के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया। रानी ने इस घृणित कार्य से हार नहीं मानी और संप्रदाय का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे कर

अदा न करें और अंग्रेजों के लिए काम करना बंद करें। यही उस समय स्वाधीनता संग्राम की पद्धति थी। वे भूमिगत हो गईं और उन्होंने ब्रिटिश शासन पर अनेक हमलों का नेतृत्व किया।

ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें तलाश करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी में मदद पहुंचाने वाली जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। पुरस्कार के रूप में यह घोषणा भी की गई कि उनका अता-पता बताने वाले किसी भी ग्रामीण को 10 वर्ष तक लगान में छूट मिलेगी। यह उस समय एक बड़ी रियायत समझी जाती थी। परंतु, उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आने वाली असम राइफल्स के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, जो उस समय क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए तैनात की गई थी।
अक्तूबर, 1932 में गाइडिनल्यू पुलोमी गांव पहुंचीं, जहां उनके समर्थकों ने एक लकड़ी का किला बनाना शुरू किया। जिस समय किला निर्माणाधीन था, असम राइफल्स की एक टुकड़ी ने उन पर अचानक धावा बोल दिया और गाइडिनल्यू को उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

दिसंबर, 1932 में लेंग और बोपुंगवेमि गांवों से उनके समर्थकों ने नागा पर्वतीय क्षेत्र में लाकेमा इंस्पेक्शन बंगले के एक कुकी चैकीदार की हत्या कर दी, जिस पर मुखबिर होने का संदेह था जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गाइडिनल्यू को इम्फाल लाया गया, जहां 10 महीने की सुनवाई के बाद उन्हें हत्या और हत्या के लिए उकसाने के आरोपों में दोषी ठहराया गया। राजनीतिक एजेंट अदालत द्वारा हत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके ज्यादातर सहयोगियों को फांसी दे दी गई या कारागार में डाल दिया गया।

1933 से 1947 तक रानी को गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल और तुरा जेलों में रखा गया। अनेक विद्रोहियों ने यह स्वीकार किया कि ब्रिटिश शासन को कर अदा करने से इंकार करने के लिए उन्हें रानी और जाडोनांग ने प्रेरित किया था।
जवाहर लाल नेहरू ने 1937 में शिलांग कारागार में रानी से मुलाकात की थी और उन्हें रिहा कराने में सहायता करने का वायदा किया था। एक बयान में नेहरू ने गाइडिनल्यू को पर्वतों की बेटी बताया और उसे लोगों की रानी का खिताब दिया। नेहरू ने ब्रिटिश सांसद लेडी अस्टोर को पत्र लिखा कि वह रानी गाइडिनल्यू की रिहाई के लिए कुछ करें। परंतु, तत्कालीन सक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया ने उसका अनुरोध यह कह कर ठुकरा दिया कि रानी को रिहा करने से फिर से समस्या पैदा हो सकती है।

1946 में अंतरिम सरकार बनने के बाद, रानी गाइडिनल्यू को प्रधानमंत्री नेहरू के आदेश पर तुरा जेल से रिहा किया गया। वे 1947 तक विभिन्न जेलों में 14 वर्ष बिता चुकी थीं। रिहाई के बाद वे अपने लोगों के उत्थान के लिए काम करती रहीं। 1952 तक वे अपने छोटे भाई मरांग

के साथ त्वेनसांग के गांव विमरेट में रहीं। उसी वर्ष उन्हंे अंततः अपने पैतृक गांव लोंकाओ वापस जाने की अनुमति दी गई। 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने इम्फाल का दौरा किया जहां रानी गाइडिनल्यू उनसे मिलीं और अपने लोगों की ओर से आभार एवं सद्भाव व्यक्त किया। बाद में उन्होंने दिल्ली में नेहरू से मिल कर अपने समुदाय ज़ेलियांगरोंग के लोगों के कल्याण और विकास के बारे में विचार विमर्श किया।

गाइडिनल्यू उन नागा विद्रोहियों के खिलाफ थीं, जो भारत से अलगाव का समर्थन करते थे। लेकिन उन्होंने भारतीय संघ के भीतर एक पृथक जेलियांगरोंग प्रदेश के लिए अभियान चलाया। विद्रोही नागा नेताओं ने एक प्रशासनिक यूनिट के अंतर्गत जेलियांगरोंग जनजाति के एकीकरण के गाइडिनल्यू के आंदोलन की आलोचना की। उन्होंने परंपरागत नागा जीववाद धर्म या हेराका को बहाल करने के लिए रानी के संघर्ष का भी विरोध किया।

भारत के स्वतंत्र होने के साथ गाइडिनल्यू के संघर्ष का अंत नहीं हुआ। हेराका संस्कृति को परिभाषित करने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वे 1960 में फिर से भूमिगत हो गईं। उन्होंने करीब 1000 बंदूकधारी लोगों की प्राइवेट आर्मी का गठन किया ताकि जेलियांगरोंग जिले की स्थापना की अपनी मांग के लिए दबाव डाला जा सके।

''नागा संघीय सरकार'' की फिज़ो घोषणा के जवाब में उन्होंने ''रानी पार्टी की जेलियांगरोंग सरकार'' नाम से एक अर्द्ध प्रशासनिक यूनिट की घोषणा की। 1964 में जेलियांगरोंग नेताओं, जो भूमिगत नहीं थे, ने रानी गाइडिनल्यू के नेतृत्व में भूमिगत नेताओं से सलाह मशिवरा करने के बाद भारतीय संघ के भीतर एक पृथक जेलियांगरोंग प्रशासनिक इकाई या राजनीतिक इकाई की मांग की।

1966 में, 6 वर्ष कठिन भूमिगत जीवन व्यतीत करने के बाद, अपनी वृद्धावस्था में भारत सरकार के साथ एक समझौते के अंतर्गत, रानी गाइडिनल्यू जंगल में छिपने के अपने ठिकाने से बाहर आईं, ताकि शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक साधनों के जरिए अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। वे जनवरी 1966 में कोहिमा पहुंचीं और एक महीने बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की। उन्होंने जेलियांगरोंग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की। 24 सितंबर, 1966 को उनके 320 समर्थकों ने सरकार के साथ समझौता किया और उनमें से कुछ को नागालैंड सशस्त्र पुलिस में भर्ती कर लिया गया।

कोहिमा में उनके प्रवास के दौरान 1972 में उन्हें ''ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार'', पदम् विभूषण (1982) और विवेकानंद सेवा पुरस्कार (1983) से सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1996 में सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। सरकार ने 5 प्रमुख भारतीय महिलाओं के सम्मान में स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें से एक रानी गाइडिनल्यू के नाम से था। इतना ही नहीं,

हिंदुस्तान शिपयार्ड ने 2010 में विशाखापट्टनम में एक गश्ती जहाज को रानी गाइडिनल्यू का नाम दिया।

1991 में गाइडिनल्यू अपने जन्मस्थान लोमकाओ लौट गई थीं, जहां 17 फरवरी, 1993 को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मणिपुर के तत्कालीन राज्यपाल चिंतामणि पाणिग्रही, नगालैंड के गृह सचिव, मणिपुर के अधिकारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र से अनेक लोगों ने उनके पैतृक गांव में उनकी अंत्येष्टि मंे हिस्सा लिया। इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री आर के दोरेन्द्रो सिंह, उप मुख्यमंत्री रिशांग किशिंग और अन्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया।

रानी गाइडिनल्यू को इतिहास के पन्नों पर पूर्वोत्तर से एक स्वाधीनता सेनानी वीरांगना के रूप में याद किया जाएगा। हाल ही में, नई दिल्ली में रानी गाइडिनल्यू की स्मृति में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन पर 100 रुपये और 5 रुपये मूल्य के दो स्माॅरक सिक्के जारी किए। स्मृति समारोह में अनेक राष्ट्रीय नेताओं और उनके सैंकड़ों प्रशंसकों ने हिस्सा लिया। अनेक केबिनेट मंत्रियों के अलावा मणिपुर और नगालैंड के मुख्य मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय ने रानी के जीवन और कार्यों के बारे में एक करोड़ रुपये की लागत से कोहिमा में एक पुस्तकालय और संग्रहालय की स्थापन की भी घोषणा की है।

('श्री सी के नायक एक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

(पीआईबी फीचर)